



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशापी संस्थान.)

नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

email : principal@ecajmer.ac.in

Phone : 9214210952

पत्रांक: अमअ / 2019 / 497 / 512

दिनांक 23.09.2019

आवश्यक सूचना

शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.23(9)त. शि./2017 दिनांक 09.07.2019 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन स्ववित्तपोषित अभियांत्रिकी महाविद्यालय में राजकीय यात्राओं पर राजकीय नियमों की पालना हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसकी पालना अनिवार्य है एवं इसी के अनुसरण में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1972 के अनुसार यात्रा की अनुमति की शक्तियाँ नियंत्रण अधिकारी अथवा डी०डी०ओ० में ही निहित हैं। ऐसी स्थिति में अन्य कोई भी राजकीय धन को व्यय करने तथा यात्रा की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। यदि फिर भी वो जारी रहता है तो नियमों के विपरीत ही। अतः भविष्य में सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय एवं यात्रा के आदेश मात्र प्राचार्य अथवा डी०डी०ओ० से जारी ही मान्य होंगे।

उप कुलसचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु:-

1. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर।
2. सभी संबंधित को सूचनार्थ।
3. रक्षक पत्रावली।

उप कुलसचिव (वित्त)